जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,जमुई

आदेश

आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 232 दिनांक 04.02.2020 के निदेश के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 1081 दिनांक 23.06.2020 द्वारा मनरेगा अन्तर्गत सामग्री अधिप्राप्ति के लिए अल्पकालीन कोटेशन आमत्रण सूचना के आधार पर इच्छुक प्रतिष्ठान से प्राप्त तकनीकी विवरणी एवं वितिय विवरणी के संवीक्षोंपरान्त सभी एजेंसी को निम्न तीन कोटि में वर्गीकृत किया गया है:–

1. प्रथम कोटि:– वैसे एजेंसी जिसके द्वारा वांछित सभी कागजात उपलब्ध कराया गया है।
2. द्वितीय कोटि:– वैसे एजेंसी जिसके द्वारा सभी वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है।
3. तृतीय कोटि:– वैसे एजेंसी जो एक जी0एस0टी0 पर कई प्रखंड के लिए अलग–अलग लिफाफा उपलब्ध कराया गया है।

सभी कोटि के एजेंसी को निदेश दिया जाता है कि यदि उन्हें किसी प्रकार की आप्पति है तो **दिनांक– 13.07.2020 के अपराहन 02:00 बजे तक** अपना आप्पति दर्ज कर सकते हैं। साथ ही कई एजेंसी द्वारा (पौधशाला से संबंधित एजेंसी को छोड़कर) एक से अधिक प्रखंडों में कार्य किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है इस प्रकार के भी एजेंसी को निदेश दिया जाता है कि वे निर्धारित तिथि/समय तक एक प्रखंड को कार्य हेतु चयन कर प्रस्ताव जिला को उपलब्ध करा देंगे। अन्यथा जिला द्वारा किसी भी प्रखंड को कार्य के लिए चयनित करने पर स्वतंत्र होंगे।

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त,
जमुई

ज्ञापांक 1247 दिनांक 11/7/2020 /

प्रतिलिपि:– उपरोक्त सभी ऐजेंन्सी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी कार्यक्रम पदाधिकारी जिला–जमुई को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से इसकी सूचना सूचनापट्ट पर चिपकाना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे जिला बेवसाईट पर प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपि:– जिला पदाधिकारी, जमुई को सादर सूचनार्थ समर्पित।

उप विकास आयुक्त,
जमुई

Scanned with CamScanner